रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड ()
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 187] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 13, 1972/आषाढ़ 22, 1894
No. 187] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 1972/ASADHA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July 1972

G.S.R. 340(E).—The following draft of certain rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), is published, as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that any objections or suggestions received from any person with respect to the said draft before the expiry of 30 days from the date of publication thereof in the Gazette of India, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Industrial Disputes (Central) Second Amendment Rules, 1972.

2. In the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957,

(i) *for* rule 76, the following rule shall be *substituted*, namely:—

"76 *Notice of retrenchment.*—If any employer desires to retrench any workman employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year under him (hereinafter referred to as 'workman' in this rule and in rules 77 and 78), he shall give notice of such retrenchment as in Form P to the Central Government/the Regional Labour

Commissioner (Central), the Assistant Labour Commissioner (Central) and the Employment Exchange concerned and such notice shall be served on that Government, the Regional Labour Commissioner (Central), the Assistant Labour Commissioner (Central), and the Employment Exchange concerned, by registered post in the following manner:—

(a) where notice is given to the workman, notice of retrenchment shall be sent within three days from the date on which notice is given to the workman;

(b) where no notice is given to the workman and he is paid one month's wages in lieu thereof, notice of retrenchment shall be sent within three days from the date on which such wages are paid; and

(c) where retrenchment is carried out under an agreement which specifies a date for the termination of service, notice of retrenchment shall be sent so as to reach the Central Government, the Regional Labour Commissioner (Central), the Assistant Labour Commissioner (Central), and the Employment Exchange concerned, at least one month before such date:

Provided that if the date of termination of service agreed upon is within 30 days of the agreement, the notice of retrenchment shall be sent to the Central Government, the Regional Labour Commissioner (Central), the Assistant Labour Commisioner (Central), and the Employment Exchange concerned, within 3 days of the agreement.

76A. *Notice of closure.*—If an employer intends to close down an undertaking, he shall give notice of such closure in Form Q to the Central Government, the Regional Labour Commissioner (Central), the Assistant Labour Commissioner (Central) and the Employment Exchange concerned, by registered post;"

(ii) in the Schedule,—

(a) in Form P, in Annexe, after the entry "(2) Regional Labour Commissioner (Central),.....Zone." the following entry shall be inserted, namely:—

"(3) Employment Officer, Employment Exchange,..... (enter the full address of the Employment Exchange concerned).";

(b) After Form P, the following Form shall be inserted, namely:—

"Form Q

See Rule 76A

Form of notice of closure to be given by an employer under section 25FFA of the Industrial Disputes Act, 1947.

Name of employer.....Address.....Dated the..... days of.....19.....

To

The Secretary to the Government of India,
Department of Labour and Employment,
New Delhi.

Sir,

Under section 25FFA of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), I/we hereby inform you that I/we have decided to close down..... ...(name of the undertaking) with effect from.....for the reasons explained in the annexure. The number of workmen whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is.....(number of workmen).

Yours faithfully,

**

.....

**(Here insert the position which the person who signs this letter holds with the employer issuing this letter).

ANNEXURE

Statement of reasons

Copy to:—

(1) The Regional Labour Commissioner (Central).....*

(2) The Assistant Labour Commissioner (Central).....*

(3) The Employment Exchange.....*

*(here enter the office address of the Regional Labour Commissioner (Central)/ Assistant Labour Commissioner (Central) and the Employment Exchange in the local area concerned)".

[No. F. S.65012/6/71-I.R.I.]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1972

सा० का० नि० 340(अ).—औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित उनसे एतद्द्वारा संभाव्यतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप के बारे में उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समाप्ति से पूर्व किसी भी व्यक्ति से जो कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. यह नियम औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) द्वितीय संशोधन, 1972 कहे जा सकेंगे।

2. औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 में,

(i) नियम 76 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"76. **छंटनी की सूचना** :—यदि कोई नियोजक अपने औद्योगिक संस्थापन में नियोजित किसी ऐसे कर्मकार की छंटनी करना चाहता है जो कि उसके अधीन एक वर्ष से अन्यून तक लगातार सेवा में रहा है (जिसे इस नियम में और नियम 77 और 78 में इसके पश्चात् 'कर्मकार' कहा गया है), वह ऐसी छंटनी की सूचना प्ररूप में केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा संबंधित रोजगार कार्यालय को देगा और ऐसी

सूचना उससरकार को, प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा संबंधित रोजगार कार्यालय को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा निम्नलिखित रीति से तामील की जाएगी :—

(क) जहां कि कर्मकार को सूचना दी जाती है वहां छंटनी की सूचना उस तारीख से तीन दिन के भीतर भेजी जाएगी जिसको कि कर्मकार को सूचना दी गई हो ।

(ख) जहां कि कर्मकार को कोई सूचना नहीं दी जाती है और उसके बदले में उसे एक मास की मजदूरी दी जाती है वहां, छंटनी की सूचना उस तारीख से तीन दिन के भीतर दी जाएगी जिसको कि ऐसी मजदूरी दी गई है और

(ग) जहां कि छंटनी किसी ऐसे करार के अधीन कार्यान्वित की जाती है जो कि सेवा के पर्यवसान के लिए कोई तारीख विनिर्दिष्ट करता है वहां छंटनी की सूचना इस प्रकार भेजी जाएगी कि वह केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा संबंधित रोजगार कार्यालय उस तारीख से कम से कम एक मास पूर्व पहुंच जाए :

परन्तुय दि सेवा के पर्यवसान की वह तारीख जिस पर सहमति हुई है करार के तीस दिन के भीतर पड़ती है तो छंटनी की सूचना केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा संबंधित रोजगार कार्यालय को करार के तीन दिन के भीतर भेजी जाएगी ।

76क. **बन्द करने की सूचना** :—यदि कोई नियोजक किसी उपक्रम को बन्द करना चाहता है तो वह ऐसे बंद करने की सूचना प्ररूप में केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा संबंधित रोजगार कार्यालय को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा देगा ।"

(ii) अनुसूची में,

(क) प्ररूप त में, उपाबंध मे,

"(2) प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), ----------परिक्षेत्र" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) रोजगार अधिकारी रोजगार कार्यालय,----------(संबंधित रोजगार कार्यालय का पूरा पता लिखें)"

(ख) प्ररूप त के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप ध'

(नियम 76क देखिए)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 चचक के अधीन नियोजक द्वारा बंद किए जाने की सूचना का प्ररूप ।

नियोजक का नाम----------पता----------

तारीख----------19---- के----------दिन----------

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
श्रम और रोजगार विभाग
नई दिल्ली।

महोदय,

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 25घघक के अधीन मैं/हम एतद्द्वारा आपको सूचित करता हूं/करते हैं कि मैं/हमने----------
(उपक्रम का नाम) को----------तारीख से उपबन्ध में स्पष्ट किए गए कारणों से बंद करने का निश्चय किया है। उपक्रम के बन्द किए जाने के कारण ऐसे कर्मकारों की, जिनकी सेवाएं पर्यवसित हो जाएंगी, संख्या----------(कर्मकारों की संख्या) है।

भवदीय

(यहां उस व्यक्ति का, जो पत्र पर हस्ताक्षर करता है, वह पद भरें जो वह पत्र जारी करने वाले नियोजक के पास धारण करता है)।

उपाबंध

कारणों का विवरण

सेवा में,

(1) प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)----------*

(2) सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ----------*

(3) रोजगार कार्यालय,----------

*(यहां प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)/सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा संबंधित स्थानीय क्षेत्र के रोजगार कार्यालय के कार्यालय पता लिखें।

[सं० एफ० एस०/65012/6/71-एल० आर०-1]

एस० एस० सहस्रनामम, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972